रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 192] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 27, 1984/वैशाख 7, 1906
No. 192] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 27, 1984/VAISAKHA 7, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवम् सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1984

सं. 116/84-सीमाशुल्क

का. आ. 320 (अ) :—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 54 की उपधारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्द्वारा, अनापाथी (आन्ध्र प्रदेश) में अनापाथी रेलवे स्टेशन पर अन्तर्देशीय कण्टेनर, डिपो को उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करता है ।

[फा. सं. 434/10/81 सी. शुल्क-4]
सुनील कुमार, अवर सचिव,
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 1984

No. 116|84-CUSTOMS

S.O. 320(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (3) of Section 54 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby specifies the Inland Container Depot at Anaparthi Railway Station at Anaparthi (Andhra Pradesh) for the purposes of the said clause.

[F. No. 434|10|81-Cus.IV]

Sunil Kumar, Under Secy.
Central Board of Excise & Customs

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984